



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 478 राँची, मंगलवार,

14 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

25 सितम्बर, 2025

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-93/2019 का० 5684--श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 852, दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित खाता संख्या-11112105417 से 12,60,00,000/- (बारह करोड़ साठ लाख) रुपये की निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-3777(HRMS), दिनांक 04.03.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-7860, दिनांक 28.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 10.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निलंबन से मुक्त करने संबंधी श्री राम से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-17675 (HRMS), दिनांक 14.10.2022 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही, यह निर्णय लिया गया गबन राशि की वसूली एवं श्री राम के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज शहर थाना कांड सं0-378/2019 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

6. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-5186, दिनांक 07.08.2024 द्वारा श्री राम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. श्री राम द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर निलंबन अवधि की सेवा विनियमन करने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप देय पेंशन, उपादान एवं अव्यहृत उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया।

8. श्री राम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संबंधित मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है एवं अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री राम के दर्ज शहर थाना कांड सं0-378/2019 में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त कांड का अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त के निलंबन अवधि दिनांक 04.03.2020 से दिनांक 14.10.2022 तक की अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत निम्न शर्तों के साथ विनियमित किया जाता है-

(क) श्री बंका राम के निलंबन अवधि दिनांक 04.03.2020 से दिनांक 14.10.2022 के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित की जायेगी।

(ख) उक्त विनियमन श्री राम के विरुद्ध दर्ज मेदिनीनगर शहर थाना कांड संख्या-378/2019 के फलाफल से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
